

कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर


क्रमांक:- अनु-प्रथम/बी/2020/235

दिनांक : 08.10.2020

परिपत्र

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक पी.डब्ल्यू.डी./आई.टी./डी-31 दिनांक 25.09.2020 द्वारा विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरण हेतु आवेदन अनिवार्य रूप से ऑन-लाईन ही करने के निर्देश जारी किये गए हैं ।

वर्तमान में विभाग में कई कार्मिक अपने पदस्थापन कार्यालय/जहां से उनका वेतन आहरण हो रहा है से भिन्न कार्यालयों में कार्यसम्पादन हेतु कार्यरत हैं । ऐसे सभी कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि यदि वे अपने वर्तमान कार्यालय में ही पदस्थापित रहना चाहते हों तो उन्हें उक्त कार्यालय में स्थानान्तरण हेतु अपना आवेदन-पत्र निर्धारित अवधि में ऑन-लाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा दिनांक 31.10.2020 के पश्चात उन्हें अपने मूल पदस्थापन कार्यालय में (जहां से उनका वेतन आहरण किया जा रहा है) कार्यग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय द्वारा कार्यमुक्त कर दिया जावेगा ।


27/10/2020
(संजीव माथुर)


मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव
सा0 नि0 वि0, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- प. 66(2)/अनु.प्रथम/बी/2020/डी- 235

दिनांक : 08.10.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. सम्भाग-समस्त ।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत), सा.नि.वि., जयपुर/जोधपुर ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत्त, समस्त ।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., खण्ड-समस्त ।
5. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
6. निजी सचिव, मु.अ.एवं अति. सचिव/रक्षित पत्रावली ।


07.10.2020
(अक्षय कुमार जैन)

अधीक्षण अभियन्ता एवं तक. सहा. प्रथम
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0, जयपुर